मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौंड तथा कोल जातियों को सूचीबद्ध करने में हुई विसंगतियां

2802. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में विद्यमान गौंड तथा कोल जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त जातियों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है;

(ग) किसी जाति/जनजाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से मापदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई जातियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गौंड और कोल समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड इस प्रकार हैं:—

अनुसूचित जातियां:— अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न अत्यन्त सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजातियां:—आदिम लक्षणों का पाया जाना, विशिष्ट संस्कृति भौगोलिक पृथकता, समुदाय के साथ उन्मुक्त रूप से सम्पर्क के प्रति संकोच तथा पिछड़ापन।

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट समुदायों की सूची विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव निगम संबंधी मैनुअल में दी गई है।

इस्पात विकास निधि

2803. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात विकास निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो यह निधि कब स्थापित की गई थी और मार्च 1996 के अन्त तक इस निधि में कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ग) मार्च, 1996 के अंत तक इस निधि से इस्पात उद्योग को अनुसंधान और विकास कार्य के लिये कुल कितनी प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) सरकार ने शेष राशि खर्च करने के लिये क्या निर्देश जारी किये है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) जी, हां।

(ख) इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०) को 5 जून, 1978 को स्थापित किया गया था। एस डी एफ लेवी को दिनांक 21/22-4-1994 से समाप्त कर दिया गया था। इस लेवी के माध्यम से जमा की गई राशि 1590.12 करोड़ रु० थी।

(ग) इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए दिनांक 31.3.96 तक इस निधि में से 55.00 लाख रु० की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(घ) इस्पात विकास निधि से प्रमुख उत्पादकों को उनकी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं के वित्त-पोषण हेतु ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस्पात विकास निधि को अन्य दूसरे उद्देश्यों जैसे, कतिपय अनुसंधान कार्यक्रमों का निधियन, लघु उद्योग निगमों को रियायत देना, तथा संयुक्त संयंत्र समिति की "आर्थिक अनुसंधान इकाई" के खर्च के लिए भी उपयोग किया जाता है।

इस्पात विकास निधि को एक प्रबंधन समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल है, द्वारा संचालित किया जाता है:—

सचिव (इस्पात)	—	अध्यक्ष
सचिव (व्यय)	—	सदस्य
सचिव (योजना आयोग)	—	सदस्य
विकास आयुक्त लोहा और इस्पात	—	सचिव

समिति, निधि से ऋणों की मंजूरी, वसूली जाने वाली ब्याज दर, आदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्पात विकास निधि का उपयोग करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है।